ई–निविदा सूचना

शासनादेश संख्या–950/1–11–2017–14 (जी)/2017 दिनांक 21–08–2017 में दिये गये विस्तृत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत बाढ़ से सुरक्षित बचाकर राहत कैम्पों में लाये गये व्यक्तियों (शरणार्थियों) एवं जो व्यक्ति राहत कैम्पों में नहीं रह रहे हैं, यथा तटबंधों, मैरूण्ड (Marooned) गांव आदि में रह रहे है तथा जिनकी आजीविका बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित है, के प्रत्येक परिवार (05 व्यक्ति) हेतु खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री बोरा/पैकेट/डिब्बा में व्यवस्थित कर प्रति परिवार को निम्नलिखित खाद्य एवं अन्य राहत सामग्री ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया अपनाते हुए क्रय की जानी हैः–

खाद्यान्न सामग्री का विवरण

क्र0	खाद्यान्न सामान का नाम	मात्रा	क्र0	खाद्यान्न सामग्री का नाम	मात्रा	क्र0	खाद्यान्न सामग्री का नाम	मात्रा
1	आटा (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	10 कि.ग्रा.	7	नमक आयोडाइज्ड (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	500 ग्राम	13	बिस्कुट (100ग्राम) (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	10 पैकट
2	चावल (उत्तम गुणवक्ता)	10 कि.ग्रा.	8	हल्दी (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	250 ग्राम	14	रिफाइन्ड आयल (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	01 लीटर
3	आलू (उत्तम गुणवक्ता)	10 कि.ग्रा.	9	मिर्चा पिसी (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	250 ग्राम			
4	लाई (उत्तम गुणवक्ता)	05 कि.ग्रा.	10	धनिया पिसी (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	250 ग्राम			
5	भुना चना (उत्तम गुणवक्ता)	02 कि.ग्रा.	11	मोमबत्ती (ब्रान्डेड)	01 पैकट			
6	अरहर की दाल (उत्तम गुणवक्ता)	02 कि.ग्रा.	12	माचिस (जलरोधी)	01 पैकट			

अन्य राहत सामग्री का विवरण

क्र0सं0	अन्य राहत सामग्री का नाम	विवरण
1	तिरपाल	5 मी0 लम्बाई × 3 मी0 चौड़ाई
2	लन्च पैकेट	प्रति पैकेट : (08 पूड़ी वजन 200 ग्राम, सब्जी वजन 150 ग्राम, अचार)
3	छाता (ब्रान्डेड)	
4	भूसा (पशु चारा)	
5	टार्च प्लास्टिक	एवेरेडी/जीप ब्रान्ड 02 सेल वाला

उक्त 14 खाद्यान्न सामग्री व 05 अन्य राहत सामग्री की न्यूनतम दरें तय करने हेतु नियम व शर्तें निम्नवत् हैं–

1– ई–निविदा प्रपत्र निःशुल्क http://e-tender.up.nic.in एवं kannauj.nic.in से प्राप्त किये जा सकते हैं।

2– निविदादाताओं द्वारा धरोहर धनराशि रू0 25,000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट/FDR/डाकघर बचत पत्र (Refundable) जिलाधिकारी, कन्नौज के नाम बन्धक कराते हुए प्रस्तुत करना होगा, जिसकी स्कैन कॉपी ऑनलाइन निविदा में सबमिट की जायेगी। उक्त धनराशि का कार्य समाप्ति के बाद प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कार्यालय से वापस प्राप्त की जा सकती है।

3– टेक्निकल बिड के साथ धरोहर राशि रू0 25,000.00 की धनराशि का उपरोक्तानुसार डी0डी0 आदि तथा टिन/जी0एस0टी0 प्रमाणपत्र, हैसियत प्रमाणपत्र आदि ई–टेण्डर पोर्टल पर स्कैन कर समस्त अभिलेख अपलोड करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर मूलरूप में संग्रह कार्यालय, कलेक्ट्रेट–कन्नौज में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त अभिलेखों को निर्धारित अवधि में जमा न करने की स्थिति में सम्बन्धित ई–निविदादाता की ई–निविदा खोली नहीं जायेगी।

4– स्वीकृत ई–निविदा के निविदाकर्ता को अल्प सूचना पर 24 घण्टे के अन्दर खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री वाटर प्रूफ पैकेट में तैयार कराकर गन्तव्य स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी। यदि समय आपूर्ति नहीं की जाती है और वांछित पैकेटिंग में आपूर्ति नहीं होती है, तो धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने के साथ ही 02 प्रतिशत की पाक्षिक अतिरिक्त कटौती भी की जायेगी।

5– ई–निविदादाता द्वारा सभी वस्तुओं के रेट समस्त कर व भाड़ा व इसी प्रकार से कोई अन्य कर जोड़कर ही प्रस्तावित करना होगा, क्योंकि निविदादाता को किसी प्रकार का कर तथा सामग्री लाने ले जाने व निर्देशित स्थानों तक पहुंचाने का भाड़ा अलग से नहीं दिया जायेगा।

6– किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी, कन्नौज को होगा।

7– प्राविधानित समस्त वस्तुएं बाढ़ के समय आवश्यकतानुसार सम्बन्धित तहसीलदार/उप जिलाधिकारी/ जिला पूर्ति अधिकारी की मांग पर तत्काल उपलब्ध करानी होगी।

8– यदि ई–निविदादाता आपूर्ति आदेश के अनुसार खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति समय से नहीं करता है, तो खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री को बाजार या किसी अन्य संस्था से आपूर्ति सुनिश्चित करवाने के लिए निविदा आमंत्रणकर्ता स्वतन्त्र होगा और यदि इस प्रक्रिया में मूल्य में कोई अन्तर आता है और अधिक भुगतान करना पड़ता है, तो ई–निविदादाता अधिक व्यय देने के लिए बाध्य होगा और यह राशि उसकी जमानत राशि से काट ली जायेगी। यदि जमानत राशि से अधिक व्यय हो जाता है, तो उसका भुगतान ई–निविदादाता को स्वयं करना होगा।

9– यदि सैम्पुल के आधार पर खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति नहीं होगी, तो आपूर्ति आदेश निरस्त समझा जायेगा और ई–निविदादाता की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

10– ई–निविदा स्वीकृत होने पर कार्यादेश के क्रम में आपूर्तित खद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री को ई–निविदा आमंत्रणकर्ता अथवा प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण करने के दौरान यदि यह पाया गया कि खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री नमूने के अनुसार नहीं है, तो आपूर्ति कार्यादेश निरस्त करते हुए ई–निविदादाता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

11– स्वीकत ई–निविदादाता मांग के अनुसार खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति करने के पश्चात फर्म/संस्था/एजेंसी का निर्धारित बिल सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को प्रस्तुत करना होगा, जिसका सत्यापन करने के उपरान्त ई–पेमेन्ट के माध्यम से सम्बन्धित के खाते में भुगतान किया जायेगा।

12– आपूर्ति की गयी खाद्यान्न सामग्री में से बोरे आदि का भार काटकर वजन की गणना की जायेगी।

13– आलू के मामले में बड़े साइज का आलू ही स्वीकार किया जायेगा। आलू हरा नहीं होना चाहिए। यदि छोटा आलू मिलाया जाता है, तो उसे छांटकर वजन की गणना की जायेगी एवं तद्नुसार बिल से धनराशि की कटौती की जायेगी।

14– लईया केवल धान की स्वीकार की जायेगी, रवे अथवा मैदा से बनायी गयी लईया कदापि स्वीकार नहीं की जायेगी।

15– ई–निविदा आवेदन पत्र उन्हीं फर्मों/संस्थाओं के स्वीकार किये जायेंगे, जो प्राविधानित खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री का वास्तविक रूप से व्यवसाय करते हों तथा उनका व्यापार कर पंजीकरण उस वस्तु विशेष के व्यापार करने हेतु हो। किसी भी जनरल आर्डर एजेन्ट अथवा मध्यस्थ को ई–निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा। यदि जांच के दौरान ऐसा पाया जाता है, तो सम्बन्धित फर्म/संस्था की ई–निविदा कर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

16– खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति उच्च गुणवत्ता की होगी।

17– ई–निविदा खोले जाने के समय ई–निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री का सैम्पल सेट समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो कि उच्च गुणवत्तायुक्त होना चाहिए, जिन ई–निविदादाताओं द्वारा सैम्पल समिति के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया जाता है, उनकी वित्तीय ई–निविदा नहीं खोली जायेगी।

18– ई–निविदादाता का 100.00 रू0 के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी संस्था किसी भी सरकारी कार्यालय/उ0प्र0 सरकार/संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाली गयी है।

19– ई–निविदादाता द्वारा गतवर्ष (2018–19) में तथा विगत 03 वर्षों में बाढ़/सूखा/किसी अन्य आपदा में सामग्री आपूर्ति का प्रतिवर्ष लगभग 02 करोड़ रू0 का सरकारी अनुभव होना अनिवार्य होगा।

20– ई–निविदादाता का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 05 करोड़ का टर्न ओवर होना चाहिए, जिस हेतु बैलेंस शीट निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

21– फर्म/प्रतिष्ठान का संचालन नियमानुसार होना चाहिए।

22– आपूर्ति का आदेश दैवीय आपदा होने की दशा में आवश्यकतानुसार ही निर्गत किया जायेगा।

23– उक्त निविदा सूचना kannauj.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त नियम व शर्तों के अधीन सम्भावित बाढ़–2019 से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति हेतु ई–निविदा प्रपत्र भाग–1 (तकनीकी भाव पत्र) व भाग–2 (वित्तयी भाव पत्र) निम्न हैः–

(संभावित बाढ़–2019 से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति हेतु ई–निविदा प्रपत्र)

भाग–2

वित्तीय भाव पत्र

1–फर्म / संस्था / एजेंसी का नाम :..

2–फर्म / संस्था / एजेंसी के स्वामी का नाम :..

3–पिता का नाम :..

4–पूरा पता :..

खाद्यान्न सामग्री का विवरण

क्र0	खाद्यान्न सामान का नाम	मात्रा	क्र0	खाद्यान्न सामग्री का नाम	मात्रा	क्र0	खाद्यान्न सामग्री का नाम	मात्रा
1	आटा (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	10 कि.ग्रा.	7	नमक आयोडाइज्ड (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	500 ग्राम	13	बिस्कुट (100ग्राम) (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	10 पैकट
2	चावल (उत्तम गुणवक्ता)	10 कि.ग्रा.	8	हल्दी (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	250 ग्राम	14	रिफाइन्ड आयल (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	01 लीटर
3	आलू (उत्तम गुणवक्ता)	10 कि.ग्रा.	9	मिर्चा पिसी (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	250 ग्राम			
4	लाई (उत्तम गुणवक्ता)	05 कि.ग्रा.	10	धनिया पिसी (प्रतिष्ठित ब्रान्डेड)	250 ग्राम			
5	भुना चना (उत्तम गुणवक्ता)	02 कि.ग्रा.	11	मोमबत्ती (ब्रान्डेड)	01 पैकट			
6	अरहर की दाल (उत्तम गुणवक्ता)	02 कि.ग्रा.	12	माचिस (जलरोधी)	01 पैकट			

अन्य राहत सामग्री का विवरण

क्र0सं0	अन्य राहत सामग्री का नाम	विवरण
1	तिरपाल	5 मी0 लम्बाई × 3 मी0 चौड़ाई
2	लन्च पैकेट	प्रति पैकेट : (08 पूड़ी वजन 200 ग्राम, सब्जी वजन 150 ग्राम, अचार)
3	छाता (ब्रान्डेड)	
4	भूसा (पशु चारा)	
5	टार्च प्लास्टिक	एवेरेडी / जीप ब्रान्ड 02 सेल वाला

घोषणा

मैंने / हमने ई–निविदा की समाचारपत्र में प्रकाशित सूचना एवं ई–निविदा पोर्टल http://e-tender.up.nic.in एवं kannauj.nic.in पर उपलब्ध सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्यकरने हेतु सहमत हूँ।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म / संस्था का नाम व पता सील सहित

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

ई–निविदा खोलने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ई–निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(निविदा मूल्य निःशुल्क)

(संभावित बाढ़–2019 से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री की आपूर्ति हेतु ई–निविदा प्रपत्र)

भाग–1

तकनीकी भाव पत्र

1–फर्म/संस्था/एजेंसी का नाम :..

2–फर्म/संस्था/एजेंसी के स्वामी का नाम :..

3–पिता का नाम :..

4–पूरा पता :..

12. दूरभाष नम्बर :..............................मोबाइल नम्बर..............................

5–टिन/जी.एस.टी. का पंजीयन संख्या :..............................प्रभावी दिनांक..............................

6–पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें :..

7–धरोहर धनराशि रू0 25,000.00 जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, का बैंकड्राफ्ट/डीडीआर/ डाकघर बचत पत्र संख्या :..

8–हैसियत प्रमाणपत्र संख्या :..............................प्रभावी दिनांक..............................

9–अनुभव का विवरण :..

घोषणा

मैंने/हमने ई–निविदा की समाचारपत्र में प्रकाशित सूचना एवं ई–निविदा पोर्टल http://e-tender.up.nic.in एवं kannauj.nic.in पर उपलब्ध सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्यकरने हेतु सहमत हूँ।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म/संस्था का नाम व पता सील सहित

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

ई–निविदा खोलने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर   ई–निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर